



न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या :-161/2022 (2022/336)  
अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 08.09.2022

शीर्षक

1. नामीलाल पुत्र बहादुरमल जैन निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादी

बनाम

1. उदयराम पुत्र रामरतन तेली
2. कैलाश पुत्र बरदीचन्द पारिक
3. नाराण पुत्र मोहन ब्राह्मण
4. प्रकाश पुत्र जगदीश पारीक
5. भैरू पुत्र बरदीचन्द पारीक
6. मूली पुत्री बरदीचन्द पारीक
7. रामु पुत्री बरदीचन्द पारीक
8. रामेश्वर पुत्र बरदीचन्द पारीक
9. सीमा माता गीता देवी पत्नि हरिओम पारीक (ब्राह्मण) निवासी लखमणियास हाल निवास ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
10. पुष्पा माता गीता देवी पत्नि गोपाल पारीक (ब्राह्मण) निवासी लखमणियास हाल निवास चान्दरास तहसील बागौर जिला भीलवाड़ा
11. मंजु माता गीता देवी पत्नि रतन पारीक (ब्राह्मण) निवासी लखमणियास हाल निवास शाकरवास तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
12. अण्छी माता गीता देवी पत्नि सुरज पारीक (ब्राह्मण) निवासी लखमणियास हाल निवास जुणदा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाड़ा मु० गंगपुर जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

अधिवक्ता वादी:- श्री सलीम अंसारी

प्रतिवादी सं०:- 1 लगायत 12 अनुपस्थित  
पेरोकार सरकार

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 26.11.2024

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के हाल खाता संख्या 708 में आराजी संख्या 2147 रकबा 0.11 हे०, आरजी संख्या 2148 रकबा 0.13 हे० कुल किता 02 कुल रकबा 0.24 हे० भूमि दर्ज होकर स्थित भूमि में वादी का 1/6 हिस्से का कब्जे व हिस्से के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की आपसी सहमती से दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक पीडी/486 दिनांक 17.09.2024 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। जिसे वादी के अधिवक्ता ने स्वीकार किया।


अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) गंगपुर


पृ. 1.

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	ननालाल पुत्र बहादुरमल जैन सा० देह हाल वापी वलसाड गुजरात खातेदार	ग्राम सोनियाणा (खाता संख्या 708)	2148/2	0.0400
		योग	1	0.0400
2	उदयराम पु० रामरतन तेली 1/10 सा० देह कैलाश पुत्र बरदीचन्द 3/25 पारीक सा० देह गीता पुत्र मोहन 1/10 ब्राह्मण सा० देह नाराण पुत्र मोहन 1/10 ब्राह्मण सा० देह प्रकाश पुत्र जगदीश 1/10 पारीक सा० देह भैरूलाल पुत्र बरदीचन्द 3/25 पारीक सा० देह मूली पुत्र बरदीचन्द 3/25 पारीक सा० देह रामेश्वर पुत्र बरदीचन्द 3/25 पारीक सा० देह खातेदार रामू पुत्र बरदीचन्द 3/25 पारीक सा० देह खातेदार	ग्राम सोनियाणा (खाता संख्या 708)	2148/1 2147	0.0900 0.1100
		योग	2	0.2000

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

  
(राजेश कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी गंगापूर

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजेश कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी गंगापूर

